सिन्धु जल-संधि (इंडस वाटर ट्रीटी)

ओमकार सिंह
वैज्ञानिक ई-1
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन नदी तंत्रों क्रमशः सिंधु (पश्चिमी हिमालय), गंगा (मध्य हिमालय) एवं ब्रहमपुत्र (पूवी हिमालय) नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी तंत्र भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों एवं पाकिस्तान के लोगों के लिए जीवन रेखा है। आजादी के समय भारत एवं पाकिस्तान अलग-अलग स्वतंत्र देश बनने पर सिंधु नदी तंत्र में आजादी से पूर्व स्थापित सिंचाई की परियोजनाओं से जल उपयोग के विषय में विवाद प्रारंभ हो गये। इन विवादों को निपटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) ने दोनों देशों के बीच वर्ष 1960 में एक समझौता कराया जिसे ''सिंधु जल-संधि (Indus Water Treaty)'' के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खाँ (तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, पाकिस्तान), श्री जवाहर लाल नेहरू (तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत) एवं मि.डब्लू.ए.बी. इलिफ (प्रतिनिधि विश्व बैंक) ने 19 सितम्बर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए। अतः सिंधु जल-संधि भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय जल-संधि है।

सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः तीन पूर्वी नदियाँ (सतलज, व्यास एवं रावी) तथा तीन पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम एवं चिनाव) हैं। सिंधु नदी तंत्र का औसत वार्षिक निस्सरण पूर्वी नदियों से 41 विलियन घन मी. तथा पश्चिमी नदियों से 166 विलियन घन मीटर है। इस संधि के अधीन पूर्वी नदियों (सतलज, व्यास एवं रावी) के अधिकांश जल का बटवारा भारत के लिए तथा पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम एवं चिनाव) के अधिकांश जल का बटवारा पाकिस्तान के लिए किया गया है। इस संधि पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार की मंजूरी भी है। संधि के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को रावी नदी के कुछ भाग का उपयोग करने का अधिकार है। इस संधि के अन्तर्गत एक प्रीएम्बल, बारह अनुच्छेद (Articles) एवं आठ संलग्नक (Annexures) हैं । विवरण निम्नवत है :

सारणी -1 : सिंधु जल संधि के अनुच्छेद एवं सलग्नक

अनुच्छेद -I	परिभाषाएं
अनुच्छेद -II	पूर्वी नदियों के जल का प्रावधान
अनुच्छेद - III	पश्चिमी नदियों के जल का प्रावधान
अनुच्छेद - IV	पूर्वी एवं पश्चिमी नदियों के प्रावधान
अनुच्छेद - V	वित्तीय प्रावधान
अनुच्छेद - VI	आँकड़ों का आदान प्रदान
अनुच्छेद - VII	भविष्यकालीन सह-भागिता
अनुच्छेद - VIII	स्थाई सिंधु आयोग
अनुच्छेद - IX	मतभेद एवं विवादों का निस्तारण
अनुच्छेद - X	संकटकालीन प्रावधान
अनुच्छेद - XI	सामान्य या साधारण प्रावधान
अनुच्छेद - XII	अन्तिम प्रावधान
संलग्नक - A	भारत सरकार एवं पाकिस्तान सरकार के बीच टिप्पणियों का आदान-प्रदान

संलग्नक - B	पाकिस्तान द्वारा रावी की निर्धारित सहायक नदियों के जल का कृषि के लिए उपयोग।
संलग्नक - C	भारत द्वारा पश्चिमी नदियों का कृषि के लिए उपयोग
संलग्नक - D	भारत द्वारा पश्चिमी नदियों का कृषि के लिए उपयोग
संलग्नक - E	भारत द्वारा पश्चिमी नदियों के जल का भंडारण करना।
संलग्नक - F	निष्पक्ष विशेषज्ञ
संलग्नक - G	मध्यस्थता करने के लिए न्यायालय
संलग्नक - H	संक्रमण कालीन व्यवस्थाएं।

सारणी -1 के अनुच्छेद -V में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत भारत ने विश्वबैंक को 62,060,000 पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा का भुगतान किया था । संधि में इस धन का उपयोग पाकिस्तान के लिए पूर्वी नदियों के जल की बजाय पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग करने के लिए सिंचाई की आवश्यक संरचनाएं विकसित एवं बदलने के लिए किया गया। चूंकि भारत ने निर्धारित उपरोक्त धनराशि का भुगतान विश्व बैंक को पाकिस्तान के लिए पहले ही कर दिया है। अतः संधि का अनुच्छेद -V अब मान्य नहीं है। इसी प्रकार संलग्नक-H भी अब मान्य नहीं है, जिसके अन्तर्गत सिंचाई की संरचाएं बनाने एवं बदलने के लिए निर्धारित संक्रमण कालीन अवधि 31मार्च, 1970 थी, जो बाद में 31 मार्च 1973 तक बढ़ाई गयी थी।

प्रस्तुत संधि में भारत को सिंधु की पश्चिमी नदियों के जल से 6.42 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रावधान है जिसमें रनवीन तथा प्रताप नहरों की अनुमोदित निकासी भी सम्मलित है। इसके अलावा, भारत को अपनी अतिरिक्त सिंचित फसल क्षेत्र की सिंचाई सिंधु से 70,000 एकड़, झेलम से 4,00000 एकड़ एवं चिनाव से 2,31,000, एकड़ तक करने का प्रावधान है। यद्यपि उपरोक्त अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता के लिए भारत को संधि के संलग्नक-A में दिये गये प्रावधानों के अधीन जल संरक्षण भंडारण (Water Conservation Storage) से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अन्यथा, नवीन विकसित सिंचाई क्षेत्रफल सिंधु में 70,000 एकड़, झेलम में 1,50000 एकड़ तथा चिनाव में 50,000 एकड़ से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। यद्धपि भारत ने पश्चिमी नदियों पर अभी तक कोई जल संरक्षण (Water Conservation storage) का निमार्ण नहीं किया है।

सारणी में दिये गये अनुच्छेद -VIII, अनुच्छेद VIII B के अनुसार दोनों देशों को एक-एक आयुक्त को नियुक्ति करने का प्रावधान है तथा दोनों देशों के आयुक्तों को मिलाकर एक स्थाई सिंधु आयोग (Permanent Sindus Commission) का गठन होता है। इस आयोग का उद्देश्य संधि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहकारी व्यवस्थाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण करना है, जिससे दोनों देशों की नदियों के जल का विकास करने एवं विवाद आदि को आसानी से निस्तारित किया जा सके। आयोग को क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में साल के भीतर कम से कम एक बार जून के महीनों में बैठक करना अपेक्षित है, जिसमें 31 मार्च से पूर्व हुए कार्यो के वार्षिक प्रतिवेदन दोनों सरकारों को भेजे जाते हैं।

संधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रतिमाह सिंधु बेसिन में निस्सरण (flow) एवं जल उपयोग से संबंधित आँकड़ो का आदान-प्रदान किया जाता है। सन् 1962 से रावी, सतलज, व्यास, जम्मू तवी, चिनाव एवं झेलम नदियों के बाढ़ निस्सरण (flood flow) आँकड़ों को टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान भेजा जाता है। इसके अलावा सन् 1974 से रावी, जम्मूतवी एवं चिनाव नदियों के बाढ़ निस्सरण आँकड़ो का प्रसारण भी किया जाता

रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के अनुरोध पर सन् 1989 में दोनों देशों के सिंधु जल के लिए नियुक्त आयुक्तों के बीच रावी एवं सतलज नदियों के बाढ़ निस्सरण (Flood flows) संबंधी आंकड़ो को प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक दूरभाष (Telephone) के माध्यम से भेजने की सहमति हुई थी। संधि में वित्तीय प्रावधानों के बावजूद भारत ने सन् 2001 तक पाकिस्तान से, कोई धनराशि आँकड़ो को सम्प्रेषित करने की कीमत के बतौर नहीं मांगी । सन् 2001 के बाद आँकड़ों को सम्प्रेषित करने की वास्तविक कीमत के चुकाने के लिए लिखा गया है, तथा अभी भी संवाद जारी है।

भारत द्वारा सिंधु की पूर्वी नदियों पर निर्मित भाखड़ा नॉगल एवं व्यास परियोजनाएं तथा इंदिरा नहर परियोजना (अधूरी निर्मित) से औसतन 37 बिलियन घन मी. जल का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रावी पर थीन बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूरे होने एवं सतलज यमुना लिंक नहर से पूर्वी नदियों के शेष अनुमोदित जल को भारत उपयोग में ला सकेगा। ज्ञातव्य है कि भारत ने पश्चिमी नदियों पर संरक्षण भंडारण (Conservation Storage) का निर्माण नहीं किया है तथा संधि के प्रावधानों के अनुसार कुल अनुमोदित अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र (7,01,000 एकड़) की सिंचाई करने के लिए पाकिस्तान को संरक्षण भंडारण का पानी मुहैया कराना आवश्यक है। अतः संरक्षण भंडारण के बिना वर्ष 1999-2000 के आंकड़ो के अनुसार भारत सिंधु की पश्चिमी नदियों से कुल 9,12,747 एकड़ क्षेत्रफल को ही सिंचित कर सकता है लेकिन भारत अभी संपूर्ण सिंचाई की क्षमता का उपयोग नहीं कर सका है। जिसका विवरण निम्न है:-

सारणी -2 सिंधु की पश्चिमी नदियों से जल उपयोग की स्थिति (वर्ष 1999 -2000)

बेसिन	संधि की प्रभावी तिथि पर फसल क्षेत्र एकड़	अतिरिक्त अनुमोदित सिंचित फसल क्षे.(एकड़)*	शुद्ध अनुमोदित सिंचित फसल क्षे.	कुल सिंचित फ.क्षे. उपलब्धि (99-2000) एकड़
सिंधु	42,179	70,000	1,12,179	50,949
झेलम	5,17,909	1,50,000	6,67,909	6,39,177
चिनाव	82,389	50,000	1,32,389	1,15,619
कुल	6,42,477		9,12,477	8,05,745

* संरक्षण भंडारण से पाकिस्तान को पानी न छोड़ने की स्थिति में

उपरोक्त सारणी-2 (इंटरनेट से प्राप्त आंकड़े) से विदित है कि भारत को जम्मू कश्मीर राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक सिंचाई की संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर सरकार इस संधि को अपने प्रदेश के लिए अनुचित मान रही है। पंजाब केसरी, जालन्धर से प्रकाशित दैनिक अखबार दिनांक 18 अक्टूबर, 2000) के अनुसार जम्मू - कश्मीर राज्य सरकार ने केन्द्र तथा योजना आयोग को दिये गये औपचारिक नोट में कहा है कि सिंधु जल संधि से राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तथा राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र से औपचारिक रूप से 10 हजार करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की है। लेखक की व्यक्तिगत राय इस मांग का समर्थन नहीं करती। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार अभी तक अनुमोदित सम्पूर्ण जल संसाधन क्षमताओं तक का उपयोग नहीं कर सकी है जिसके लिए प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। यद्यपि कुछ वर्षो से जम्मू कश्मीर की नाजुक स्थिति की वजह से राज्य की विकास परियोजनाओं एवं पर्यटन पर असर पड़ा है जिससे वहाँ की अर्थ व्यवस्था अवश्य प्रभावित हुई है।